न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोईवाला, जिला देहरादून।
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–78/2022
राज्य बनाम महेन्द्र सिंह बोरा।

मु0अ0सं0–375/2022
अं0धारा–380 व 411 भा0द0सं0
थाना–डोईवाला, जिला देहरादून।

दिनांक–07–11–2022

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र सिंह बोरा की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 375/2022, अन्तर्गत धारा 380 व 411 भा0द0सं0, थाना डोईवाला, जिला देहरादून के अपराध में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त महेन्द्र सिंह बोरा जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र, इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को दिनांक 17.10.2022 को थाना डोईवाला की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर, न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्त निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त के माता–पिता वृद्ध है, जिनकी देखभाल करने वाला अभियुक्त के अलावा अन्य कोई नहीं है। अभियुक्त दौराने मुकदमा जमानत देने को तैयार है। अतः याचना की गयी है कि अभियुक्त को दौराने वाद जमानत पर रिहा किया जाये।

3– इस सम्बन्ध में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर द्वारा आख्या दी गयी है कि, ***''महोदया थाना डोईवाला के मु0अ0सं0 375/22 में अभियुक्त महेन्द्र सिंह बोरा दिनांक 18.10.22 से अं0धा0 380, 411 आईपीसी में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के पास गिरफ्तारी के समय उपरोक्त मु0अ0सं0 से संबंधित चोरी किया गया सामान बरामद हुआ था। प्रार्थना पत्र के साथ वादी जितेन्द्र सिंह का शपथपत्र भी संलग्न है, जिसमें वादी द्वारा शपथपत्र की चरण सं0 03 में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, उल्लेखित है तथा चरण सं0 4 व 5 में अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई आपतित न करते हुए बिना किसी दबाव के स्वतन्त्र सहमति प्रदान करना उल्लेखित किया है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध 380, 411 आईपीसी अजमानतीय प्रकृति का है व 411 आईपीसी शमनीय प्रकृति का है। परन्तु यदि जमानत पर रिहा होकर अभियुक्त अनुपस्थित होता है, तो विचारण प्रभावित होगा। अतः जमानत का विरोध किया जाता है।''***

4– जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर को सुना गया एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5– प्रपत्रों के अवलोकन से, अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 380 व 411 भा0द0सं0 का अभियोग है, जिनके सम्बन्ध में सात वर्ष तक/सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। अभियोजन की आख्या के अनुसार, ***''अभियुक्त के पास से गिरफ्तारी के समय उपरोक्त मु0अ0सं0 से सम्बन्धित चोरी का***

सामान बरामद हुआ।'' चूँकि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 18.10.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है। अतः उपरोक्त परिचर्चा, तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, गुण–दोष पर, कोई राय व्यक्त किये बगैर अभियुक्त को सशर्त जमानत पर, रिहा किए जाने के पर्याप्त आधार हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त महेन्द्र सिंह बोरा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को धारा 380 व 411 भा0द0सं0 के अन्तर्गत मु0 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो सक्षम प्रतिभू न्यायालय के समक्ष पेश करने पर, इस शर्त के साथ कि **(1)** वह निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा **(2)** वह ऐसा कोई अपराध, जिसको करने का इस पर अभियोग है, कोई अपराध नहीं करेगा **(3)** वह इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा तथा न्यायालय आदेशों का अनुपालन करेगा, जमानत की शर्तो का उल्लंघन नही करेगा, दौराने वाद, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–07–11–2022

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डोईवाला।